कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)।

कमांक :- 1095 दिनांक :- 28/7/2026

।। कार्यालय आदेश ।।

मैं मनोज सिंह फौजदार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 सपठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **अगस्त–2026 व सितंबर–2026** में राजकीय अवकाशों में टोंक जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड मुख्यालय पीपलू, निवाई, उनियारा, देवली, मालपुरा, टोडारायसिंह व तहसील मुख्यालय दूनी के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकृति के कार्यों (यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्यु कालीन कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई सारणी संख्या 1 में वर्णित कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनके नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे तथा उक्तानुसार ही प्रोटोकॉल ड्यूटी करेंगे।

सारणी संख्या :- 1

क.सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.1, टोंक	आशिमा माथुर	9887708912	02.08.2026
2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपलू	धर्मेन्द्र कुमार शर्मा	8302657251	08.08.2026 09.08.2026
3.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूनी	यतिन खटाना	8860702787	15.08.2026 16.08.2026
4.	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	सिद्धार्थ शर्मा	7297911597	22.08.2026 23.08.2026
5.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	सरिता कायथ	7737220734	26.08.2026
6.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उनियारा	सबा परवीन कागजी	7727998839	28.08.2026
7.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	ईशा सांघी	9510318076	30.08.2026
8	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय देवली	हर्ष मीना	8290481196	04.09.2026
9.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, निवाई	चांदनी जैन	7357340939	06.09.2026
10.	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक	श्रेया गोयल	8239998880	12.09.2026 13.09.2026
11.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा	पूनम जगरवाल	9694555996	20.09.2026 21.09.2026
12.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	स्वप्निका कटारा	7340111346	22.09.2026 स्थानीय अवकाश
13.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली	श्रेया सोनी	8290582898	26.09.2026 27.09.2026

उक्त ड्यूटी चार्ट में अंकित न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह रिमाण्ड ड्यूटी में कार्यालय समय पर अपने न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित रहे। साथ ही अपने कार्यालय के एक लिपिक व च.श्रे.क. को भी रिमाण्ड ड्यूटी के दिन कार्यालय में उपस्थित रखे।

नोट :- उक्त राजपत्रित अवकाशों व स्थानीय अवकाश के अतिरिक्त अन्य दिवस् को आकस्मिक अवकाश घोषित होने की स्थिति में अवकाश घोषित दिवस् से पूर्व दिवस् को राजपत्रित अवकाश **हेतु न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक कार्य एवं** प्रोटेकॉल आदि से **सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाने के लिए अधिकृत न्यायिक अधिकारीगण ही टोंक**

न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/अभिवृद्धि (रिमाण्ड) व अन्य आवश्यक कार्य **सम्पादित करेंगे तथा प्रोटेकॉल इयूटी से सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी प्रोटोकॉल इयूटी करेंगे।** जब **तक कि कोई पृथक आदेश प्रसारित नहीं किया जावे।**

नोट :– कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अधिकारीगण कॉलम संख्या 5 में नियत इयूटी दिवस् पर सम्बन्धित मुख्यालय पर ही अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान

कमांक :– 1096 —— 1119 दिनांक :–28/7/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–1/संख्या–2, टोंक।
3. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा/मालपुरा/निवाई/टोडारायसिंह।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट. टोंक/देवली/मालपुरा/उनियारा/निवाई/दूनी/पीपलू।
5. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक/देवली/निवाई/न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, देवली।
6. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
7. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक।
8. जिला आबकारी अधिकारी,टोंक।
9. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक।
10. पुलिस कन्ट्रोल रूम, टोंक।
11. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोक की वेबसाइड पर अपलॉड करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)